UPLK010122922022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 1442/2022

सरकार **बनाम** दुर्गेश कश्यप आदि

अ0सं0 187/2022
धारा–147,148,323,376डी,504,506,34 भा0द0सं0
धारा 3(1)द, ध, 3(2)v,3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–माल, लखनऊ।

18–04–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप जेरे हिरासत व अभियुक्तगण बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप के विरुद्ध धारा 147, 148, 323, 376डी, 504, 506, 34 भा0द0सं0 धारा 3(1)द, ध, 3(2)v, 3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन एवं अभियुक्तगण बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप के विरूद्ध धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा0द0सं0 धारा 3(1)द, ध, 3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 02–05–2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010122922022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 1442/2022

सरकार **बनाम** दुर्गेश कश्यप आदि

अ0सं0 187/2022
धारा–147,148,323,376डी,504,506,34 भा0द0सं0
धारा 3(1)द, ध, 3(2)v,3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–माल, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 13.05.2022 समय अदम तहरीर थाना माल जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम गोपरामऊ में आप अभियुक्त दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद द्वारा वादिनी मुकदमा पिंकी के साथ ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में सामूहिक बालात्कार का कृत्य किया। आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376डी/34 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि व स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप एक साथ मिलकर वादिनी मुकदमा पिंकी व उसके परिवार के विरूद्ध विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बल्वा किया, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप एक साथ मिलकर हथियारों से लैस होकर वादिनी मुकदमा पिंकी व उसके परिवार के विरूद्ध विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में बल व हिन्सा का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप द्वारा वादिनी मुकदमा पिंकी, वादिनी के पति कौशल किशोर, देवर सुभाष, सास केतकी को मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप द्वारा वादिनी मुकदमा पिंकी, वादिनी के पति कौशल किशोर, देवर सुभाष, सास केतकी को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप द्वारा वादिनी मुकदमा पिंकी, वादिनी के पति कौशल किशोर, देवर सुभाष, सास केतकी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा पिंकी (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती कश्यप द्वारा ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में सामूहिक बालात्कार का कृत्य किया। जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

अष्टमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप द्वारा वादिनी मुकदमा पिंकी, वादिनी के पति कौशल किशोर, देवर सुभाष, सास केतकी को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित करने के आशय से अपमानित व अभित्रस्त किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

नवमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप द्वारा वादिनी मुकदमा पिंकी, वादिनी के पति कौशल किशोर, देवर सुभाष, सास केतकी, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में

है।

दशमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण दुर्गेश कश्यप व सत्ती प्रसाद कश्यप, बहादुर कश्यप, जीतू कश्यप, राजू कश्यप व संदीप कश्यप द्वारा वादिनी मुकदमा पिंकी, वादिनी के पति कौशल किशोर, देवर सुभाष, सास केतकी के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 18–04–2023

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये गये जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 18–04–2023

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.04.18 17:13:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court